श्रीगंगानगर
171/2016

A3

<u>अपील सूचना अधिकार संख्या 171/2016 अनवानी श्री लेखराम पुत्र श्री मानाराम नायक निवासी 2 जे.एस.एम. पो. ऑ. 2 के.एम. (डबर) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>05–12–2016</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लेखराम उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का पत्र सं0 2506/23.11.16 एवं उपपंजियक अनूपगढ का प्रतिवेदन संख्या 1613 दिनांक 01.12.2016 शामिल किया गया। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रा0 पत्र दिनांक 26.09.2016 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> उपपंजियक पद पर नियुक्त अनूपगढ़ कार्यालय में वेदप्रकाश पुत्र हरदयाल वेद की सेवा पुस्तिका में शामिल जाति प्रमाण पत्र व शिक्षा के संबंध में निम्न जानकारी दी जावे।
>
> अनूपगढ़ तहसील में उपपंजियक पद पर कार्यरत वेदप्रकाश पुत्र हरदयाल वेद की सेवा पुस्तिका में शामिल जाति प्रमाण पत्र किस कार्यालय तथा किस श्रेणी एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. से जारी किया गया है तथा उसका क्रमांक कितना है तथा इसने दसवीं कक्षा किस शिक्षा बोर्ड से व किस सन् में उतीर्ण की तथा रोल न0 कितने थे। उपरोक्त सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।

अपीलार्थी को उक्त सूचनाएं प्राप्त न होने के कारण उसके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को पत्र सं0 1989 दि0 22.11.2016 जारी करने पर उनके द्वारा उनके पत्र दिनांक 15.11.2016 के सन्दर्भ में उपंजियक अनूपगढ को लिखा जाकर प्रतिलिपि इस कार्यालय को पत्र सं0 2506 दिनांक 23.11.2016 द्वारा दी है। जिस पर उपपंजियक, अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन सं0 1613 दिनांक 01.12.2016 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय (उपपंजियक अनूपगढ़) में उपलब्ध न होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र महानिरीक्षक, पंजियन एवं मुदांक विभा, राज0 अजमेर को पत्र सं0 1606–07 दिनांक 28.11.2016 भिजवा दिया था। जिसकी प्रतिलिपि उनके द्वारा आवेदक को भी दी गयी है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबध पंजियन विभाग से है जिसके लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अपील सुनने का निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कोई अधिकार नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील सक्षम अथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए वापिस लौटाना उचित है।

अतः अपीलार्थी की अपील सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापिस लौटाई जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक, अनूपगढ को भिजवाई जावे। मूल अपील पत्र मय सलंग्न दस्तावेजात आदेश की प्रति के साथ अपीलार्थी को भिजवाए जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2148-49 PA
16-12-16

आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.
(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर